अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 01, (January-March 2026)

भारत में लैंगिक असमानता की समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. सुभाष चन्द्र प्रभात
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,

राजकीय डिग्री महाविद्यालय,राजगीर,नालन्दा
(पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय,पटना)

सार :

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता एक गंभीर समस्या है, जो समाजशास्त्रीयों तथा अन्य समाज वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। शहरी समाज की महिलाओं की तुलना में ग्रामीण समाज के महिलाओं में अधिक असमानता हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना में उत्तर भारत के हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में लैंगिक असमानता अधिक है। आज भी महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही हैंए बलात्कारए देहज हत्या, कन्या हत्या, भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपातए यौन हिंसाएमानसिक प्रताड़ना आदि महिलाओं के निम्र स्थिति को दर्शाती है। यह सच है कि सरकार, नीति निर्माताओं, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं स्वयंसेवी संगठनों ने लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कई सराहनीय कदम उठाये हैं,जैसे- कान्या भ्रूण हत्या रोकथाम कानून, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, महिलाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसर, मातृत्व सुरक्षा कार्यक्रम आदि महत्वपूर्ण हैं। फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में जितना सुधार होना चाहिए था, उतना सुधार कई कारणों से संभव नहीं हो पाया है। इसका कारण समाज का स्वरूप ही पितृसत्तात्मक है, साथ ही बाल-विवाह का प्रचलनए वैवाहिक कुरीतियाँए नारी चल-संपत्ती के रूप मेंएपितृसत्तात्मक जीवन मूल्य, संयुक्त परिवार, इस्लामी संस्कृति का प्रभाव, अशिक्षा, पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता आदि लैंगिक असमानता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत द्वितीयक श्रोंतों का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन समस्त भारत के परिपेक्ष्य में किया गया है।

मुख्य शब्द :लैंगिक असमानता, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, पितृसत्तात्मक जीवन मूल्य, वैवाहिक-कुरितियाँ, अशिक्षा, आर्थिक-निर्भरता, संयुक्त परिवार, मानसिक प्रताड़ना, दहेज हत्या, हिंसा

परिचयः

भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति काफी महत्वपूर्ण है। महिलाएँ न केवल पारिवारिक कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मानव समुदाय लिंग के आधार पर दो भागों में विभाजित है - महिला और पुरुष। जबकि यौन-भेदभाव जीव-विज्ञान के द्वारा विभाजित किए गए हैं। लैंगिक भेदभाव सांस्कृतिक आधार पर बनाए गए हैं। महिला का न केवल जैविक अस्तित्व है, बल्कि उससे अपने समाज के मानदंडों के अनुसार कुछ कार्यों को पूरा करने की प्रत्याशा भी की जाती है। स्त्रियों की

लिंग-भूमिका समाज और परिवार, जिसमें वे पैदा होती हैं, उसके अनुसार निर्धारित होती है।[१](सिंह, २००६:२५६) साधारणतथा लैंगिक असमानता को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दो भागों यथा प्राणिशास्त्रियो और समाजीकरण में बांट सकते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जहाँ बच्चों को उनकी प्रस्थति, भूमिका, भाषा, अपेक्षा, संस्कृति आदि के नियमों का पालन, परिवार, शिक्षण संस्थाओं व समाज द्वारा कराया जाता है।[२](रीट्जर, २०११:१६६) 'बच्चों के खेलों में भी हमें लैंगिय असमानता की झलक देखने को मिलती है, जिसमें वे परंपरागत भूमिका को सीखते हैं। यह उस समय भी था जब दास प्रथा, मातृसत्तात्मकता, स्वपरिभाषित महिलाओं का समाजीकरण जिससे आत्म सम्मान, स्वतन्त्रता, स्वांवलंबन का प्रतिरोध महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था।[३] (वालैस, २०१२:४३६) रोजगार करना, निर्णय लेना, प्रभुत्व, प्रधानता इत्यादि पुरुषों की प्राथमिक जिम्मेदारी मानी गई। उसी तरह, महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी उनका परिवार, पारिवारिक दायित्व व प्रधानता की अभिव्यक्ति को माना गया। लैंगिक -प्रस्थिति की असमानता परिवार व समाज की प्रमुख रूप से प्रतिक्रिया व आवश्यकता के आधार पर भूमिका को प्रतिपादित किया जाता है।[४] (पारसंस, १९५४:३४८) भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कुछ सदियों में कई बड़े बदलाव का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्यकालीन काल के निम्नस्तिरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। इस विषय पर वैसे तो काफी पुस्तकें हैं, आधुनिक भारत में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिक्ष्प की नेता आदि जैसे अनेक शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।. जिस समाज में नारी को देवी का दर्जा हासिल है वहीं नारी के साथ अत्याचारों की लम्बी कतार भी खड़ी दिखाई देती है। कहा जाता है कि प्राचीनकाल में नारी का आधिपतय था। नारी ही पुरूषों, बच्चों और बुजुर्गो का पालन-पोषण करती रही है। बच्चों की पहचान भी माता के नाम से होती थी। वक्त के परिवर्तन के साथ पुरूषों ने नारी की सत्ता का दोहन कर अपना आधिपतय स्थापित कर लिया। अपनी सत्ता छीन जाने के बाद नारी के इतिहास में उतार- चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति समाज में काफी ऊँची थी और उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वस्तंत्रता प्राप्त थी। वे धार्मिक क्रियाओं में भाग ही नहीं लेती थी, बल्कि क्रियाएँ सम्पन्न कराने वाले पुरोहितों और उन्हें गहिणी, अर्धांगनी कहकर सम्बंधित किया जाता था। पुत्र.पुत्री के पालन-पोषण में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उपनयन संस्कार और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी स्त्रीयों को पुरूषों की भांति समान रूप से प्राप्त था। तत्कालीन युग में महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थी। अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा-प्रथा तथा बाल-विवाह जैसी कुप्रथा का प्रचलन भी उस युग में नहीं था। महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी। यद्यपि विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था, लेकिन विधवाओं के साथ सम्मानज्नक व्यवहार किया जाता था और उन्हें अपने पति की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त था। यूँ कहा जा सकता है कि स्त्रियॉं किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से पीछे नहीं थी। भारतीय समाज के वैदिक काल में नारी को पुरूषों के समाज में शिक्षा, धर्म, राजनैतिक और सम्पत्ति के अधिकार एवं सभी मामलों में समान अधिकार प्राप्त थे। इसके बाद धीरे-धीरे नारी को प्रदत्त अधिकारों में ह्रास बढ़ता गया और

नारी को विभिन्न अधिकारों, यथा- शिक्षा, स्वतंत्रता, धार्मिक अनुष्ठान आदि से वंचित किया जाने लगा, जिससे वह पूर्ण रूप से पुरूषों पर आश्रित हो गयी। एक तरफ जहाँ भारतीय संस्कृति में नारी को सदा ऊँचा स्थान मिला है, नारी को मर्यादा के क्षेत्र में पुरूषों से अधिक श्रेष्ठ माना गया है तथा स्त्री और श्री में कोई भेद नहीं किया गया है, वहीं उसी नारी के साथ अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो चुका था। नारी के उपर तरह-तरह की बंदशियां, जैसे, पर्दे में रहना, पुरूषों की आज्ञा का पालन करना, प्रत्युत्तर न देना, चारदीवारी में रहना आदि। ११वीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी के काल को मध्यकाल कहा जा सकता है। इस काल को स्त्रियों की स्थिति के दष्टिकोण से काला युग कहा जा सकता है। भारत में राजाओं की आपसी फूट का फायदा मुसलमानों ने उठाया और भारत देश पर अपना आधिपतय कायम कर लिया। कुछ एक बादशाहों ने जोर-जरबदस्ती करके धर्म परिवर्तन करवाया तथा महिलाओं के साथ ज्यादतियां शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं ने स्त्रियों पर अनेक प्रतिबन्धात्मक निर्देशों और स्मृतिकारों की मनगड़त बातों को धार्मिक स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी कहा गया कि स्त्री को कभी अकेली नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा किसी-न-किसी के संरक्षण में ही रहना चाहिए। बाल्यवस्था में पिता के, युवायावस्था में पति के और वृद्घाअवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने के विधान पर काफी जोर दिया गया। इस काल में नारी की दशा दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा ने नारी को घर की चारदीवारी की कैद में रहने के लिए मबजूर कर दिया और बाल-विवाहों का बाहुल्य हो गया तथा शिक्षा के द्वार उसके लिए लगभग बन्द कर दिए गए। इसके साथ-साथ सती प्रथा भी अपने शिखर पर पहुँच गई थी। इस काल में महिलाओं को घर के काम-काज तक ही सीमित कर दिया गया और पति के आदेशों पर महिलाओं को चलने की नैतिकता का कड़ाई से पालन इसी काल में हुआ। वस्तुतः मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतंत्रता सब प्रकार से छीन ली गई और उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरूषों के अधीन कर दिया गया। लम्बे समय तक भारत में इस्लामी संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दू और मुसलमान औरतों की सामाजिक स्थिति तथा उनके मूल्य एक ही जैसे थे। इसके अलावा, दोनों आर्थिक और सामाजिक तौर पर पुरूषों पर पूरी तरह निर्भर थी। औरतों को यह सिखलाया गया कि वे अपनी निर्भरता की अवस्था को स्वीकार करें और इसे स्थिति प्रतीक समझकर उसका स्वागत करें। यह सही है कि यदा-कदा रजिया सुल्ताना, चाँद बीबी या अहिल्याबाई होलकर जैसे चरित्र और व्यक्तित्व वाली औरतों भारत में हुई। किन्तु, वे अपवाद मात्र थी और उनके कारण औरतों की दशा का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भक्ति-आन्दोलन ने महिलाओं की बेहतर स्थिति को वापस हासिल करने की कोशिश की और प्रभुत्व के स्वरूपों पर सवाल उठाए। एक महिला सन्त-कवियत्री मीराबाई भक्ति आन्दोलन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थी। इस अवधि की कुछ अन्य सन्त-कवियत्रीयों में अक्क, महादेवी, सन्त जनाबाई और लाल देव शामिल हैं। हिन्दुत्व के अन्दर महानुभाव, वारकरी और कई अन्य भक्ति सम्प्रदाय, हिन्दू समुदाय में पुरूषों और महिलाओं के बीच सामाजिक न्याय और समानता की खुले तौर पर वकालत करने वाले प्रमुख आन्दोलन थे। १६वीं सदी में यह महसूस किया था कि हिन्दू महिलाएँ 'स्वभाविक रूप से मासूम' और अन्य महिलाओं से 'अधिक सचरित्र' होती हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान

राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, जोतिबा फूले आदि जैसे कई समाज सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिए लड़ाईयॉ लड़ी। हालाँकि इस सूची से यह पता चलता है कि ब्रिटिश राज में अंग्रेजों का कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं था, यह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि मिशनरों की पत्नियां जैसे कि मार्था माल्ट नी मीड और उनकी बेटी एलिज कालडवेल नी माल्ट को दक्षिण भारत में लड़कियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आज भी याद किया जाता है- यह एक ऐसा प्रयास था जिसकी शुरूआाित में स्थानीय स्तर पर रूकावटों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसे परम्परा के रूप में अपनाया गया था। १८२६ में राजा राममोहन राय के प्रयास सती प्रथा के उन्मूलन का कारण बने। विधवाओं की स्थिति को सुधारने में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, १८५६ के रूप में सामने आया। कई महिला सुधारकों जैसे की पंडिता रमाबाई ने भी महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद की। कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी, कित्तूर चेन्नमा ने समाप्ति का सिद्धान्त की प्रतिक्रिया में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। तटीय कर्नाटक की महारानी अब्बाक्का रानी ने १६वीं सदी में हमलावर यूरोपीय सैनाओं, उल्लेखनीय रूप से पुर्तगाली सैना के खिलाफ सुरक्षा का नेतत्व किया। अनगिनत व्यक्तियों, सुधारवादी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों ने औरतों के बीच शिक्षा-प्रसार, विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं के जीवन की दशा सुधारने, बाल-विवाह रोकने, औरतों को पर्दे से बाहर लाने, एकल विवाह लागू करने और मध्यवर्ग की औरतों को व्यवसाय या सार्वजनिक रोजगार अपनाने में सक्षम बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनका प्रयास काफी हद तक सार्थक रहा। नारियों के जीवन में स्पष्ट परिवर्तन सम्भव हुआ। नारी-मुक्ति आन्दोलन को बीसवीं सदी में संघर्षशील राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय से काफी प्रोत्साहन मिला। औरतों ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने बड़ी संख्या में बंग-भंग के खिलाफ आन्दोलन तथा होम रूल आन्दोलन में भाग लिया। १९१८ के बाद वे राजनैतिक जलूसों में शामिल हुई। उन्होंने विदेशी कपड़े और शराब की दुकानवदों पर धरना दिया, चखे चलाए और खादी का प्रचार किया, असहयोग आन्दोलनों में जेल गईं, सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान लाठीयों, अश्रु गैस और गोलियों का सामना किया, क्रान्तिकारी आतंकवादी आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया, विधान मण्डलों के चुनाव में मतदान किया तथा उम्मीदवारों के रूप में खड़ी हुई। प्रसिद्ध कवियित्री सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। १९३७ के लोकप्रिय मंत्रिमंडलों में कई औरतें मंत्री या संसदीय सचिव बनी। सैकड़ों औरतें नगरपालिकाओं और स्थानीय स्वशासित संस्थाओं की सदस्या बनी। जब बीसवीं सदी के तीसरे दशक में ट्रेड यूनियन और किसान आन्दोलनों का उदय हुआ तब औरतें बहुधा इन आन्दोलनों में सबसे आगे थी। किसी भी अन्य कारक की अपेक्षा राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने से भारतीय नारियों को अपने जागरण और मुक्ति में योगदान मिला।[५] (सिंहए २०२३:२७१-२७३) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संविधान में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी दी गई। बाद में महिलाओं के उत्थान हेतु सरकार, स्वयंसेवी संगठनों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कई सराहनीय प्रयास किए गए।

परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन जितना आना चाहिए उत्तना नहीं आया है। आज भी महिलाओं का एक-बहुत बड़ा वर्ग लैंगिक-असमानता का दंश झेल रही है।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

नरीवाद राजनीतिक आंदोलन का सामाजिक सिद्धांत है। नारीवादी विद्वान लैंगिक असमानता और औरतों के अधिकारपर बल देता हे। समाज के अन्तर्गत नारी का स्थान दोयम दर्जे का का है, क्योंकि पुरूषों ने अपनी-सुविधाओं और स्थार्थो को ध्यान में रखकर ही सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण व पोषण किया है। नारीवाद एक ऐसा विचार है जो कि पुरूष और स्त्री के मध्य असमानता को अविष्कार कर नारी के सबलीकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक एवं क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत किया। नारीवाद एक विचारधारा भी है और एक आन्दोलन भी। उदारवादी नारीवाद अन्तर्गत सिद्धांत पहले से ही मौजूद है, जिसके समर्थक अन्न ऑक्ले है। इस विचारधारा सरकार एवं कानून के माध्यम से नारी की स्थिति में परिवर्तन लाने पर बल दिया। मार्क्सवादी नारीवाद उस पूर्व विचारधारा से प्रस्थान को संकेत करता है, जो नारीवाद को बुर्जुआ मानने से इंकार करता है। इस विचारधारा के समर्थक कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजील्स है। परिवर्तनवादी नारीवाद ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि राजनीतिक क्रिया के लिए सिद्धांत का होना आवश्यक है। इस परिपेक्ष्य का समर्थक कास्टे मिलेट हैं।[६] (सिंह, २०२५:८६१-८६६)

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा

लैंगिक असमानता की समस्या सम्बंधी अध्ययन के क्रम आवश्यक है, कि पूर्व के अध्ययनों की समीक्षा की जाय जो कि भारत की विभिन्न भागों किये गये है। प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा, कि इन अध्ययनों का मूल्यांकन किया जाय और उसके पश्चात् इन अध्ययनों से प्राक्कल्पना निकाली जाय। अध्ययन में पाया गया है, कि बाल-विवाह, वैवाहिक कुरीतियॉ, पितृसत्तामक जीवन-मूल्य, संजुक्त परिवार के मूल्य की प्रधानता, इस्लामी संस्कृति का प्रभाव और अशिक्षा लैंगिक असमानता का कारण हैं।[७] (सिंह, २००२:१६३-१७६) अध्ययन में यह पाया गया है, कि भारत में महिलाओं पर शारीरिक एवं यौन सम्बंधी हिंसा ४६.४ प्रतिशत हैं।[८] (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, (२००५-२००६), २००७:५१४) अध्ययन में यह भी पाया गया कि मध्यम वर्ग की महिलाओं के उत्पीड़न की दर्द निम्न वर्ग या उच्च कि स्त्रियों से अधिक होती है। ऑकड़े बताते कि ७० प्रतिशत पीड़ित २१-२४ वर्ष आयु समूह की महिलायें होती हैं।[९] (अहूजा, २०२३:२२६)

अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नांकित है-

(१) लैंगिक असमानता के ऐतिहासिक एवं आधुनिक प्रकृति का पता लगाना।
(२) लैंगिक असमानता की समस्या एवं कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना।
(३) लैंगिक असमानता की समस्या से सम्बधित आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना।

(४) लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए निष्कर्ष एवं सुझावों को प्रस्तुत करना, जिससे सरकार, नीति निर्माताओं एवं शोधकर्ताओं को लाभ हो सके।

प्राक्कल्पना :

प्राक्कल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जो शोध कार्य करने के पूर्व बनायी जाती है, जिसके फलस्वरूप शोधकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुँच सके। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित प्राक्कल्पना बनाई गई हैं, वे इस प्रकार हैं-

(१) लैंगिक असमानता समाज के प्रत्येक काल में रही हैएकुछ हद तक प्राचीन काल इसका अपवाद है।

(२) लैंगिक असमानता की समस्याओं में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, मानसिक प्रताड़ना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

(३) लैंगिक असमानता का महत्वपूर्ण कारक यथा बाल विवाह, अशिक्षा, सती प्रथा, कन्या जन्म को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, महिलाओं के विरूद्ध अपराध और हिंसा हैं।

(४) ग्रामीण समाज की महिलाओं में शहरी समाज की महिलाओं की तुलना में लैंगिक असमानता अधिक पाई जाती है।

(५) लैंगिक असमानता दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना में उत्तर भारत के हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में अधिक पाई जाती है।

अध्ययन पद्धति :

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत द्वितीयक श्रोतों यथा पाठ्य-पुस्तक, शोध रिपोर्ट, शोध-पत्र एवं आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जिन विषय पर शोध-पत्र आधारित है, उन तथ्यों एवं आँकड़ों के पुनर्विश्लेषण में मुख्यतः ऐतिहासिक एवं सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग में लाया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :

किसी भी शोध कार्य को सम्पन्न करने के पूर्व अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण एक आवश्यक शर्त है। प्रस्तुत अध्ययन समस्त भारत के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। मुख्यतः उत्तर भारत के हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों पर यह अध्ययन केंद्रित है। इन्हीं राज्यों में लैंगिक असमानता अधिक है। लेकिनए दक्षिण भारत के राज्यों से इनकी तुलना की गई ळें

तथ्यों एवं आँकड़ों का विश्लेषण :

भारत में स्वतंत्रता के ७८ वर्ष बीत जाने के बाद भी लैंगिक असमानता की समस्याऍ पायी जाती है; जों एक चिंता का विषय है। अध्ययन में पाया गया कि यह समस्या दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना में उत्तर भारत के हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में ज्यादा है। तथा शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 01, (January-March 2026)

महिलाओं में लैंगिक असमानता अधिक है। लैंगिक असमानता की समस्या को निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया जा सकता है:

भारत में लैंगिक असमानता का कारण महिलाओं में अशिक्षा की समस्या है। औसत भारतीय महिलाओं की स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। कि १०० महिलाओं में मात्र ६५.५ साक्षर हैं। दलित एवं पिछड़े जातियों की महिलाओं में साक्षरता और भी कम है। १०० में २२ श्रमिक हैं, जिनमें मुख्यतः दलित और पिछड़ी जाति की हैं। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत के हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों में महिलाओं की स्थिति और भी बुरी है। बिहार में ५३ प्रतिशत महिलाएँ ही अक्षर जानती हैं और काम करने के लिए मात्र १५ प्रतिशत स्त्रियाँ उपलब्ध हैं। इन महिला श्रमिकों में अधिकाशतः खेतों के कार्य से जुड़ी हैं।[१०] (सेंसस ऑफ इंडिया, २०११:१०७) ग्रामीण समाज में हालत यह है। कि बहुत-सी लड़कियाँ स्कूल विद्यालय भेजी ही नहीं जाती/लड़कियाँ अपनी इच्छा के मुताबिक पढ़-लिख नहीं पाती। जहाँ तक पढ़ भी जाती हैं, उस शिक्षा का उपयोग नहीं कर पाती। रूढ़ीवादी समाज उसका उपयोग नहीं होने देता। निश्चित रूप से वर्तमान शिक्षा का ढाँचा इसके लिए दोषी है। पर समाज की मांनसिकता भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। दरअसल आज की शिक्षा में मानवता के मूल्यों को समाप्त कर दिया गया है।[११] (सिंह, २०२३:२८५) महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारत में महिलाएँ एक लंबे समय से अवमानितएयातना और शोषण का शिकार रही हैं। आज विचारधारायें, संस्थागत रिवाज और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीडन में काफी योगदान दिया हैं। स्वाधीनता के पश्चात् भारतीयं समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानून, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतन्त्रता के बावजूद असंख्य महिलाएँ हिंसा की शिकार हैं। आपराधिक हिंसा जैसे- बलात्कार, अपहरण,आत्महत्या, दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक विधवाओं, और वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आँकड़ों बताते हैं कि देश में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में २०१० के बाद से ७.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।[१२] (अहूजा, २०२३:२२२) निर्धन बच्चियाँ ही अकेली बलात्कार की शिकार नहीं होती, अपितु मध्यम वर्ग की कर्मचारियों के साथ भी मालिकों द्वारा लैंगिक अपमान किया जाता है। निम्न मध्यम श्रेणी से आई हुई महिलाएँ जो कि अपने परिवारों का प्रमुख रूप से भरण-पोषण करती हैं, लैंगिक दुर्व्यवहार को खमोशी से और बिना विरोध किए सहन करती हैं। यदि वे विरोध करती हैं तो उन्हें सामाजिक कलंक और अपमान का सामना करना पड़ता है। अध्ययन में पाया गया कि यह स्थिति दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत के हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों में अधिक है।

ऑनर किलिंग सदस्य परिवार या सामाजिक समूह के अन्य सदस्यों द्वारा की गई हत्या है। यह दहेज हत्या से अलग है। जो भारत में यह बहुत आम है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में १००० से अधिक युवा जबरन विवाह कर दिए जाने के करण अपने आत्मसम्मान के लिए मृत्यु को अपना लेते हैं। वर्तमान परिदृश्य मेंए यदि एक युवा दंपत्ति अपनी जाति और समुदाय के बाहर विवाह करना चाहता हैए तो उसके प्रयास को राज्य

का सक्रिय समर्थन प्राप्त नहीं है। क्योंकि ऑनर किलिंग को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अध्ययन से पता चला है कि चार वर्ष की अवधि में ५६० जोड़ों में से, जिन्हें धमकी दी गई थी और राज्य का संरक्षण की माँग कर रहे थे, उनमें से १२१ व्यक्तियों का मार दिया गया। राज्य को व्यक्तियों की रक्षा करने में असफल होने पर दंडित नहीं किया गया है।[१३] (अहूजा, २०२३:२२६) जैसा कि स्पष्ट है। ऑनर किलिंग महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध है। हाल के वर्षों में देश में इस तरह की हत्याओं की बड़ी संख्या ने सरकार और समाज दोनों कोए इस सामाजिक बुराई के बारे में सोचने और आगे ऐसा न हो, इसके लिए कदम उठाने के लिए बाध्य किया है।

भारत में लैंगिक असमानता का एक महत्वपूर्ण समस्या घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा एक आक्रामक और हिंसक व्यवहार का प्रतिरूप है, जिसमें शारीरिक, यौनिकएवाणी और मानसिक के साथ-साथ आर्थिक शोषण भी शामिल है, जो व्यस्क या किशोर अपने अंतरंग साथी का करते है।[१४] (गनले एवं चेस्टर, १९९६) भारत, खासकर उत्तर भारत में घरेलू हिंसा के कारण माता-पिताएसमान का व्यवहार, बचपन से देखाना, पिछले कई अनुभवों से रिश्तों में दुर्व्यवहार, करना या उत्पीडन, वैवाहिक बंधन में असुरक्षा की भावना, काम पर हताशा आदि हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२००५-०६) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं पर शारीरिक एवं यौनिक हिंसा ४६.४ प्रतिशत है। आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि महिलाओं पर यह हिंसा दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना में उत्तर भारत के हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में अधिक है।[१५](नेशलन फैमिली हेल्थ सर्वेए२००७:५१४)

भारत में बाल-विवाह परंपरागत रूप से प्रचलित रहा है, और यह प्रथा आज भी जारी है। ऐतिहासिक रूप से कम उम्र की लड़कियों को यौवनावस्था तक पहुँचने से पहले माता-पिता के साथ रहना होता था। पुराने जमाने में बालस-विधवाओं को एक वेहद यातनापूर्ण जिन्दगी देने, सर को मुड़ाने, अलग-थलग रहने और समाज से बहिष्कृत करने का दण्ड दिया जाता था। हालाँकि १८६० में बाल विवाह को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन स्वंतत्रता प्राप्ति के ७८ वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यह एक आम प्रथा है। अध्ययन में पाया गया कि बाल-विवाह की प्रथा उत्तर भारत के हिन्दी भाषी प्रदेशों में अधिक है।[१६](सिंह, २०२३:८५) यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द बर्ल्डस चिल्ड्रेनए २००९ के रपट के अनुसार २०-२४ साल की उम्र की भारतीय महिलाओं के ४७ प्रतिशत की शादी १८ साल की वैध उम्र से पहले कर दी गई थी, जिनमें ५६ प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों से थी। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि दुनियाभर में होने वाले बाल-विवाहों में ४० प्रतिशत अकेले भारत में ही हैं।[१७](सिंह, २०२३:२८८) इस प्रकार, आज भी बहुत से व्यक्ति बाल-विवाह का समर्थन इसलिए करते हैं कि जिससे नव-विवाहित स्त्रियों को सभी प्रकार के नियंत्रण में रहने योग्य बनाया जा सके। उनके लिए स्त्रियों की चेतना और अधिकारों की आज भी कोई कीमत नहीं है।

भारत में आज भी दहेज प्रथा लैंगिक असमानता का महत्वपूर्ण कारण है। यह प्रथा उत्तम भारत के हिन्दी-भाषायी प्रदेशों में अधिक पायी जाती है। दहेज प्रथा होने से महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। मानसिक रूप से

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 01, (January-March 2026)

प्रताड़ित किया जाता है। तथा उन्हें जलाया और पीटा जाता है। दहेज हत्या या तो एक परेशान की गई पत्नी द्वारा आत्माहत्या करके या लालची पति और सुसराल द्वारा हत्या करके होती है। भारत सरकार की मई २००० में दी गई रपट्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में हर ६० मिनट में एक दहेज से सम्बंधित हत्या होती है। अधिकांश दहेज हत्याएँ पति के घर के एकांत में और परिवार के सदस्यों के मिलीभगत से होती हैं। कभी-कभी पुलिस धानबीन करने में इतनी कठोर हो जाती है कि न्यायालय भी पुलिस अधिकारियों की कार्य-कुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करते हैं।[१८](अहूजा, २०२३:२२५-२२६) १९६१ में भारत सरकार ने वैवाहिक व्यवस्थाओं में दहेज की माँग को अवैध करार देनेवाला दहेज निषेध अधिनियम पारित किया। हालाँकि दहेज-सम्बंधित घरेलू हिंसा, आत्माहतया और हत्या के कई मामले दर्ज किए गए हैं। १९९७ की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि दहेज के कारण प्रत्येक वर्ष कम-से कम ५,००० महिलाओं की मौत हो जाती है, और ऐसा माना जाता है कि हर दिन कम से कम दर्जन महिलाएँ जान-बूझकर लगाई गई रसाईघर की आग जलाकर मार दी जाती हैं। शहरी शिक्षित समुदाय के बीच उस तरह के देहेज उत्पीड़न के मामलों में काफी कमी आई है। दहेज निरोघक कानून कई कारणों से सफल नहीं हो सका है।[१९] (सिंह, २००५:१९९-२२०)

भारत में उत्तर वैदिककाल के पश्चात् स्त्रियों के सम्पत्ति का अधिकार समाप्त हो जाने के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतया पुरूषों पर निर्भर हो गई। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों द्वारा शोषण होने पर भी वे परिवार की सदस्यता को नहीं छोड़ सकती थीं। अशिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से कोई आर्थिक क्रिया करना भी उनके हित में संभव नहीं रह गया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों पर पुरूषों का एकाधिकार बढ़ता गया। अधिकांश भारतीय परिवारों में महिलाओं को उनके नाम पर कोई भी सम्पत्ति नहीं मिलती है। उन्हें पैतृक सम्पत्ति का हिस्सा भी नहीं मिलता है। वास्तव में जब ज़मीन और सम्पत्ति के अधिकारों की बात आती हैं तो कुछ कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते है। यह तथ्य उत्तर भारत मेंए दक्षिण भारत की तुलना में अधिक पाई जाती है। आर्थिक निर्भरता ही व्यक्ति को सबकुछ सह लेने के लिए बाध्य करती है। निर्भरता की स्थिति में अधिकारों की मांग करने का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। आर्थिक रूप से परंतंत्र होने के कारण-महिला पुरूष द्वारा किए गए अत्याचार-को बर्दाश्त करती रहती है। हॉलाकि स्वाधीनता बाद शिक्षा व विकास होने से महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलापों में भागीदारी बढ़ी है। फिर भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं यह भागीदारी कम है। महिला की आजादी आर्थिक स्वंतत्रता के बिना संभव नहीं है।

भारत में वैवाहिक कुप्रथाओ, जैसे- सजातिय विवाह,कुलीन विवाह, विधवा विवाह पर नियंत्रण आदि ने भी स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाने में काफी योगदान किया है। इस प्रकार के प्रथाओं के कारण समाज और परिवार में महिलाओं को एक भार के रूप में समझा जाने लगा। माता-पिता के सामने एक ही समस्या थी कि किसी प्रकार उनकी पुत्री का विवाह हो जाए। अधिक-से-अधिक उपहार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक त्योहार और संस्कार के समय कन्या-पक्ष के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वह वर-पक्ष को कुछ धन और बस्तुएँ

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 01, (January-March 2026)

भेंट करें। इस प्रकार, प्रत्येक माता-पिता के लिए कन्या का जीवन एक आर्थिक-भार बन जाने के कारण महिलाओं की सामाजिक स्थिति निरंतर गिरती गई। भारत, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, संयुक्त परिवार का ढ़ाँचा इस प्रकार का है कि महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्पत्ति-अधिकार देकर इसे किसी प्रकार सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। संयुक्त परिवार के पुरूष शासकों को संभवतः यह भय था कि स्त्रियों में चेतना का विकास होने से परिवार में उनका शासन समाप्त हो जाएगा। इस आशंका को समाप्त करने के लिए भी महिलाओं को सभी अधिकारों से वंचित करके उनका मनमाना शोषण किया जाता रहा। इस प्रकार, अनेक क्षेत्रों में संयुक्त परिवार एक लाभकारी व्यवस्था होते हुए भी स्त्रियों की स्थिति को गिरानें में अत्यधिक जिम्मेदार रहा है। भारत में लम्बे समय तक पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आयु प्रत्याशा कम रही है, जबकि सारी दुनिया में स्थिति उल्टी रही है। लगभग पिछले दो दशकों से भारतीय महिलाओं की आयु प्रत्याशा पुरुषों से अधिक हुई, लेकिन आज भी भारतीय महिलाओं की औसत आयु प्रत्याशा कम है। कई परिवारों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं को परिवार में पोषण सम्बन्धी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और ये कमजोर एवं कुपोषित होती है। भारत में मातृत्व सम्बन्धी मत्यु-दर दुनियाभर में दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर है। देश में केवल ६० प्रतिशत जन्मों की निगरानी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जाती है। ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए परिवार की किसी महिला की मदद लेती हैं जिसके पास अक्सर न तो इस कार्य की जानकारी होती है और न ही माँ की ज़िन्दगी खतरे में पड़ने पर उसे बचाने की सुविधाएं मौजूद होती हैं। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट, २०१० के अनुसार ७५ प्रतिशत गर्भवती महिलाएं (१५-४६ वर्ष के आयु वर्ग में) रक्ताल्पता से पीड़ित पाई गई थी।[२०] (सिंह,२०२३:२८६)

भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का लिंगानुपात अधिक पाया जाता है जिसका मुख्य कारण यह है कि कई लड़कियाँ वयस्क होने से पहले ही मर जाती हैं। जनजातीय समाज में अन्य सभी जातीय समूहों की तुलना में पुरुषों का लिंगानुपात कम है। इस तथ्य के बावजूद है कि आदिवासी समुदायों के पास बहुत अधिक निम्न-स्तर की आमदनी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। इसलिए कई विशेषज्ञों ने यह बताया है कि भारत में पुरुषों का उच्चस्तरीय लिंगानुपात कन्या शिशु हत्या और लिंग परीक्षण सम्बन्धी गर्भधानों के लिए ज़िम्मेदार है।[२१] (सिंह,२०१०:६२८-६४४) जन्म से पहले अनचाही कन्या शिशु से निजात पाने के लिए इन परीक्षणों का उपयोग करने की घटनाओं के कारण बच्चे के लिंग निर्धारण में प्रयोग किए जा सकने वाले सभी चिकित्सकीय परीक्षणों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। कछ ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या शिशु हत्या आज भी प्रचलित है। भारत में दहेज की परम्परा लिंग-चयनात्मक गर्भपातों और कन्या शिशु हत्या के मुख्य कारणों में से एक रहा है।

निषकर्षः

भारत में लैंगिक असमानता आज भी मौजूद है। अध्ययन में पाया कि यह असमानता दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना में उत्तर भारत के हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों, यथा बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश और राजस्थान आदि में अधिक पाई जाती है। आज भी महिलाएं हिंसा (यौन हिंसा व घरेलू हिंसा) का शिकार हो

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 01, (January-March 2026)

रही हैं। बलात्कार, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, अपराध, मानसिक प्रताड़ना आदि महिलाओं की निम्न स्थिति को दर्शाती है। यह सच है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं स्वयंसेवी संगठनों ,द्वारा कई सराहनीय कदम उठाऐ हैं, जैसे-बाल विवाह निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम कानून, घरेलू हिंसा सम्बन्धी कानूनए विधवा पुर्नविवाह कानून, सतीप्रथा कानून, मातत्व सुरक्षा कार्यक्रम, एवं महिलाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसर आदि। फलस्वरूप लैंगिक असमानता में कमी जितना होना चाहिए उतना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि आज भी अशिक्षा पुरूषों की तुलना में अधिक पायी जाती है। साथ ही बाल विवाह का प्रचलन, दहेज प्रथा, सती प्रथा, कन्या जन्म को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण आदि लैंगिक असमानता के प्रमुख स्तंभ हैं। लैंगिक-असमानता को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास और शिक्षा सबसे प्रभावी साधन है। महिला सशक्तीकरण के माध्यम से ही लैंगिक समानता की बात संभव है। इसमें सरकार एवं पुरूष जाति की अहम भूमिका होगी।

सुझाव :

भारत में लैंगिक-असमानता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे, जो इस प्रकार हैं :-

१. लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षा की अहम भूमिका है। इसलिए महिलाओं तथा लड़कियों को शिक्षित किया जाय ताकि अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। इसमें सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को आगे आकर अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए .

२. भारत में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को दूर करना आवश्यक है। माता-पिता द्वारा संवैधानिक उम्र में तथा बाद में विवाह सम्पन्न करबाएँ।

३. महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि आज के बदलते डिजिटल युग में वे अपने आप को स्थापित करने में मदद मिल सके।

४. भारत में चली आ रही परंपरागत मानसिकता एवं रूढ़िगत प्रथाओं को समाप्त करना होगा। लड़के-लड़कियों में सामाजिक रूप से फर्क न करें। इसमें माता-पिता को सकारात्मक और एक समान रूप से दोनो के प्रति सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

५. भारत, विशेषकर उत्तर भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों का विकास किया जाना चाहिए, विषेषतः महिला समुदाय के लिए सुलभ होना चाहिए ताकि उसे इसका लाभ मिल सके।

६. महिलाऐं पुरूषों पर आश्रित न रहे, इसके लिए सरकार को आर्थिक-क्रियाकलाप से संबंधित व्यवसायों को करने के लिए प्रेरणा देने के साथ आर्थिक रूप से मदद कर सके ताकि महिलाएँ स्वावलम्बी बन सकें और समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें।

७. महिलाओं से जुड़े कानूनों का कड़ाई से पालन करवाना चाहिए। इसमें सरकार अहम् भूमिका निभाए ताकि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो सके। इस प्रकारए नारी सशक्तीकरण से ही लैंगिक समानता आ सकती हैं।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 01, (January-March 2026)

संदर्भ ग्रंथ

(१) सिंह, जे. पी., समाजविज्ञान विश्वकोष, पी.एच.आई., लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड, २००६, दिल्ली, २००६, पृ०-२५६

(२) रीट्जर, जार्ज, सोशिआलॉजिकल थियेरी, टाटा मैंग्रा हिल, नई दिल्ली, २०११, पृ०-१६६

(३) वालैस, रूथ. ए., कन्टेम्पोररी सोसिआलॉजिकल थियेरी : एक्सपेंडींग क्लाससिज़्म ट्रेडिशन, पी.एच. आई. लर्निंग प्रा. लि., दिल्ली, २०१२, पृ०-४३६

(४) पारसन्स, टॉल्कट, दि सोशल सिस्टम, न्यूयार्क : फ्री प्रेस, १६५१, पृ०-३४८

(५) सिंह, जे. पी., आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन : २१वीं सदी में भारत, पी.एच. आई. लर्निंग प्रा. लि.दिल्लीए२०२३,
पृ०-२७१-२७३

(६) सिंह, जे० पी०, मॉडर्न सोशिऑलजि, मनोहर पब्लिर्शस ऐन्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू दिल्ली, २०२५, पृ० ८६१-८६६

(७) सिंह, जे० पी०, सोशिऑ ऐन्ड कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ जेंडर इनक्वलिटि ऐन्ड डिस्क्रीमीनेशन, एशियन प्रोफाइल,
कनाडा, वॉल्यूम ३०(२), अप्रैल २००२, पृ०-१६३-१७६

(८) नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (२००५-२००६), इंटरनेशनल इंस्टीच्यूट फॉर पॉप्यूलेशन साइसेज, मुम्बई, २००७, पृ०-५१४

(६) अहुजा, राम, सामाजिक समस्याएॅ, रावत पब्लिकेशन्स, २०२३, पृ०-२२६

(१०) सेन्सस ऑफ इंडिया, २०११, प्रोविजनल पॉप्यूलेशन टेबल्स, सीरिज१एरजिस्ट्रार जॅनरल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, पृ०-१०७

(११) सिंह, जे. पी., आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन : २१वीं सदी में भारत, पी.एच. आई. लर्निंग प्रा. लि.दिल्लीए२०२३,
पृ०-२८५

(१२) अहूजा, राम, सामाजिक समस्याएँ ए रावत पब्लिकेशन्स, २०२३, पृ०-२२२

(१३) अहूजा, राम, वही ए पृ०-२२६

(१४) गनले, ए. एल. और चेस्टर, एस., डोमेस्टिक वायलेंस : ए नेशनल कैरिक्यूलम फॉर चिल्ड्रन्स प्रोटेक्ट सेर्विसेस, फैमिली
वायलेंस प्रीवेन्शन फंड, सैन फ्रांसिसस्का, सी. ए., १६६६, ५०-११

(१५) नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (२००५-०६), इन्टरनेशनल इन्सटीच्यूट फॉर पॉपयूलेशन साइंसेसज, मुम्बई, २००७, पृ०-५१४

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 01, (January-March 2026)
(१६) सिंह, जे. पी., इंडियाज फैमिली इन ट्रांजीज़न, एलायड पब्लिर्शस, दिल्ली, २०२३, पृ०-८५
(१७) सिंह, जे. पी., आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन : २१वीं सदी में भारत, पी.एच. आई. लर्निंग प्रा. लि., दिल्ली,
२०२३, पृ०-२८८
(१८) अहूजा, राम, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिक्षेन्स, २०२३, पृ०-२२५-२२६
(१६) सिंह, जे. पी., डाऊरी इन इंडिया : ए सर्च फॉर न्यू सोशल ऑडेंटिटी, ईस्टर्न एन्थरोपॉलॉजिस्ट, बाल्यूम : ५८ (२),
अप्रैल-जून, २००५, पृ०-१६६-२२०
(२०) सिंह, जे. पी., आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन : २१वीं सदी में भारत, पी.एच. आई. लर्निंग प्रा. लि., दिल्ली,
२०२३, पृ०-२८६
(२१) सिंह, जे. पी., सोशिओ-कलच्चरल एस्पेक्ट ऑफ हाई मस्कुलनिटी रेशिओ इन इंडिया, जर्नल ऑफ एशियन एण्ड अफ्रीकन स्टूडीज़,
बाल्यूम : ४५ (६), सेज यू. के., २०१०, पृ० ६२८-६४४